# प्रेस विज्ञप्ति
# जनपद – सोनभद्र
# दिनांक – 11.02.2026

**मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के 01 दोषी को 20 वर्ष का काठोर कारावास एवं कुल 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित"-**

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे '#Operation Conviction' अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 11.02.2026 को थाना शाहगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना शाहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 52/2019 धारा 363, 366, 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 01. मुमताज अंसारी पुत्र अजीमुद्दीन अंसारी निवासी रामगढ़ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र, के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे स्पे0 पॉक्सों सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 376 भादवि0 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास), धारा 366 भादवि0 में 05 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये का अर्थदण्ड(अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास) एवं धारा 363 भादवि0 में 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड(अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया गया। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।